

स पत्रावली दिनांक २१/६/२५ को पेश हो।

21-6-24

पत्रावली पेश हुई, वकील आणी उपाधित, विपक्षीय
के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शाप
पठ किये गये। विपक्षी एं. 1 व 2 की आरे से अधिकारक
श्री विनोद तिवारी अधिकृत ने पेश किया व उवाक पेश
किया जिसे शाप पठ किया जाकर उवाक की प्रति वकील
उपाधित को फिलायी गयी, विपक्षीय अधिकृत ने
उवाक में बताया कि कच्चे को थप्यावत शकते हुए पत्पखनी
की भाँसे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। वकील आणी का प्राप्ति
स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्रक से लिखा जाकर शाप
पठ किया गया। पत्रावली फिलाल शुमार लेकर मम्बर
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

